न्यायालयः—रवि वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला—बुरहानपुर (म0प्र0)

RegistrationNo RCT ---1093--/2026
Filing No. ---3330---/2026
C.N.R No- MP6801/00---4187-/2026
Filing Date -11/08--/2026

मध्य प्रदेश राज्य
द्वारा आबकारी दक्षिण, बुरहानपुर,
जिला—बुरहानपुर (मध्यप्रदेश) ....अभियोजन

// विरूद्ध //

...... पिता ...... उम्र—52... वर्ष,
निवासी—...... जिला—बुरहानपुर, म0प्र0
....
.........अभियुक्त

आबकारी दक्षिण, बुरहानपुर, जिला—बुरहानपुर के अपराध कमांक—...518 /26 अपराध अंतर्गत धारा—36 (ए) आबकारी, अधिनियम, 1915 से उद्भूत प्रकरण।

निर्णय

{आज दिनांक ...11.08.26... को घोषित किया}

1. अभियुक्त पर दिनांक—...20/07/26... को समय ...13:35 am... स्थान ...... अंतर्गत थाना क्षेत्र ...... पर स्वयं के आधिपत्य में ...देशी मदिरा प्लेन... (...15 क्वार्टर, कुल ...02 लीटर ...7... एमएल) बिना अनुज्ञप्ति के विकय के प्रयोजन से अवैध रूप ढाबा या अन्य स्थान, जो सामान्य मदिरापान गृह के रूप में खोलने, रखने या उपयोग में लाने के लिए है, आबकारी अधिनियम के नियमों के उल्लंघन में ऐसे स्थान के कारोबार का संचालन कर, स्वयं के आधिपत्य में रखने का अभियोग है, जो आबकारी अधिनियम की धारा 36 (ए) के अधीन दंडनीय अपराध है।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि आबकारी दक्षिण बुरहानपुर, जिला—बुरहानपुर के ...... मुखबिर से प्राप्त सूचना

11/8/26
(रवि वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला—बुरहानपुर (म.प्र.)

की तस्दीक हेतु मय राहगीर साक्षीगण नरेन्द्र .... और ज्योतिप्रकाश बताए स्थान पर पहुंचे तो श्री रं पंजाब ढाबे ग्राम .... में तलाशी ली गई, जहां पर ....15 पाव......... देशी प्लेन शराब (मूल्य ....1050/-.... रूपये) रखी पायी गयी। ढांबे के स्वामी से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम .... होना बताया। आधिपत्य एवं विकय के लाइसेंस पूछने पर अभियुक्त ने लाइसेंस न होना बताया है। उक्त मदिरा/शराब को समक्ष गवाहान जप्त कर अभियुक्त को गिरफतार किया गया और जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 36 (ए) के अधीन प्रकरण पंजीबद्ध कर, आवश्यक अन्वेषण पश्चात् अभियोग पत्र इस न्यायालय में दिनांक ...11.08.26... को प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को अपराध विवरण पढ़कर सुनाया गया जिस पर अभियुक्त ने अपने अभिवाक् में अपराध करना स्वीकार किया है।

//निष्कर्ष//

4. अभियुक्त की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध अभिस्वीकारोक्ति के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को उसके ढांवे से उसके आधिपत्य से ...15 पाव देशी प्लेन शराब (मूल्य ...1050/-... रूपये) बिना अनुज्ञप्ति के विकय के प्रयोजन से रखी थी। अतः अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा 36 (ए) के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोग में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों तथा कारित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित् नहीं है।

अंतिम आदेश

5. अपराध की गंभीरता, प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को न्यायालय अवधि अवसान तक के कारावास तथा अर्थदण्ड से दंडित करना न्यायहित को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। फलतः अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा 36 (ए) के अधीन दण्डनीय अपराध में दोषसिद्धि पर न्यायालय अवधि अवसान तक का कारावास तथा .....500/-(.....पांच सौ..... रूपए मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

6. अर्थदण्ड के व्यतिकम में अभियुक्त को दस दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगवाया जाए।

7. अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति–पत्र व बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं।

8. प्रकरण में जप्तशुदा मदिरा मूल्यहीन होने से नष्ट की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(हस्ताक्षर) 11/8/26

(हस्ताक्षर) 11/8/26

स्थानः बुरहानपुर
दिनांकः ...11.08.26...

(रवि वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बुरहानपुर म.प्र.